न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 32/2013

RCMS Case No. 2016/00498

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
नेनसिंह पुत्र करमसिंह जाति रावत निवासी गोलकी तहसील मारवाड़ जंक्शन	1	देवीसिंह
	2	अर्जुनसिंह पि0 हेमसिंह
	3	सोनी पत्नी हेमसिंह
	4	प्रतापसिंह
	5	दरगसिंह
	6	मोतीसिंह
	7	रामसिंह पि0 प्रेमसिंह
	8	कंकुदेवी पत्नी प्रेमसिंह
	9	मनोहरसिंह
	10	जेठूसिंह पि0 भेरसिंह
	11	मकनसिंह पुत्र करमसिंह
	12	मोहनसिंह
	13	थानसिंह
	14	तारूसिंह
	15	पूनमसिंह
	16	श्रवणसिह
	17	गोपालसिंह पि0 मेघसिंह
	18	रणेसिंह पुत्र करमसिंह जातिगण रावत निवासीगण गोलकी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक : 27/3/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 1574 पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित

अति० जिला कलेक्टर, पाली

स्वीकृति आदेश दिनांक 13.04.1993 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 6 से 9, 13 से 17 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5, 10, 11, 12 व 18 के अधिवक्ता को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वे निरन्तर बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम जोजावर के खसरा नम्बर 4223, 4225, 4226, 4265, 4548, 4549 व 4550 कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 4.6408 हैक्टेयर की भूमि करमसिंह पुत्र हामसिंह कौम रावत के नाम दर्ज थी। करमसिंह फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, वह हेमसिंह, प्रेमसिंह, भेरसिंह, मकनसिंह, मेघसिंह, रणेसिंह पि0 करमसिंह के नाम दायर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट करमसिंह का जायन्दा पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व करमसिंह के विधिक वारिशान की किसी प्रकार से जांच नहीं की तथा करमसिंह के फौतेदगी नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम दर्ज करने से छोड दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलाण्ट करमसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के तौर पर जैर अपील वादस्थ भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं ग्राम जोजावर का नामान्तरकरण संख्या 1574 पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.04.1993 को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार करमसिंह पुत्र हामसिंह के फौत होने पर हेमसिंह, प्रेमसिंह, भेरसिंह, मकनसिंह, मेघसिंह, रणेसिंह पि0 करमसिंह के नाम से दायर किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को करमसिंह का जायन्दा पुत्र बताते हुए जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि में उसका अधिकार होना बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रश्न म्याद का है, तो इस सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को करमसिंह का पुत्र होना बताया है तथा जैर अपील वादस्थ भूमि करमसिंह की खातेदारी होना तथा करमसिंह के वारिश होने के तौर पर उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा निहित होना बताया। अपीलाण्ट के तथ्यों को किसी भी रूप में नकारा नहीं है। यद्यपि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि वह करमसिंह का जायन्दा पुत्र है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें स्वयं

अति० जिला कलेक्टर, पाली

को अपीलाण्ट का पुत्र बताया है। विधि अनुसार करमसिंह के पुत्र होने की स्थिति में करमसिंह के फोत होने पर बतौर पुत्र अपीलाण्ट का नाम भी दर्ज किया जाना था, जो नहीं किया गया है। इस कारण जैर अपील आदेश को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन के 1574 पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.04.1993 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान का समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक करमसिंह के विधिक वारिशान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली